

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2966
उत्तर देने की तारीख-07/08/2023

पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पुडुचेरी के विद्यार्थियों का आरक्षण

†2966. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में लगभग 150 पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2013 से शुरू किए गए उन 21 पाठ्यक्रमों के लिए पुडुचेरी के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण आबंटित किया गया है जिन्हें वर्ष 2013 से आगे विस्तारित नहीं किया गया था; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम और संविधियों में प्रवेश हेतु अधिवास-आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय समय-समय पर संशोधित केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 द्वारा अभिशासित होते हैं। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि, प्रति वर्ष पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित औसतन 25% से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और कराईकल परिसर में प्रवेश दिया जाता है।
